श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थनिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110016

क्रमांक. एफ 21(01)/ला.ब.शा.रा.सं.वि./हि.रा.भा./2021-22/546 दिनांक 07.07.2025 08

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 11011/2/2025-रा.भा.प्र. दिनांक 16.05.2025 के निरन्तर में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किये जाने वाले दस्तावेज जैसेः-दिन-प्रति-दिन के सामान्य आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, टेंडर, नोटिस, एम.ओ.ए., भर्ती, नियम (आर.आर.), संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, प्रेस, विज्ञाप्ति, लाइसेंस (अनुज्ञप्ति), परमिट (अनुज्ञा पत्र), नीति संबंधी दस्तावेज नियुक्ति पत्र एवं कार्यवृत्त आदि सभी द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेज़ी) में जारी किया जाना अनिवार्य हैं।

अतः **विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अनुभागों से यह अनुरोध है कि वे अपने-अपने विभाग/अनुभाग से संबधित उपर्युक्त दस्तावेजों को द्विभाषी (हिन्दी ऊपर एवं अंग्रेज़ी नीचे) में अनिवार्य रुप से जारी करायें।**

यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

सहायक कुलसचिव (हिन्दी राजभाषा प्रकोष्ठ)

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त पीठाध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग
3. कुलपति, कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव
4. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समस्त विभागों एवं अनुभागों को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
5. संबंधित पंजिका।

भारती त्रिपाठी

सहायक कुलसचिव (हिन्दी राजभाषा प्रकोष्ठ)

9.7.25

Sh. Sachin

08/07/25